न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर।
पीठासीन अधिकारी जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र सं.– 04/2025
जीसीएमएस सख्या – (2025/214)

प्रार्थीगणः–

1. गंगाराम पुत्र केसाराम
2. जोराराम पुत्र केसाराम

जाति हरिजन निवासी सतलाना, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. पोलाराम पुत्र चम्पालाल
2. सुरेश पुत्र चम्पालाल
3. इन्द्रादेवी पत्नी चम्पालाल
4. लीलादेवी पत्नी चम्पालाल

सभी जातियान हरिजन निवासी सतलाना, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

5. संतोष उर्फ सतु पत्नी श्रवण कुमार जाति हरिजन निवासी गोल, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर।
6. भावेश पुत्री केलादेवी पत्नी चेनाराम जाति हरिजन निवासी अजीत, तहसील सिवाना, जिला बाडमेर।
7. रीना पुत्री केलादेवी पत्नी चैनाराम जाति हरिजन निवासी अजीत, तहसील सिवाना, जिला बाडमेर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (कृषि के लिए भू आवंटन) नियम 1970 सपठित धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश दिनांक 05.10.1977 द्वारा आवंटन सलाहकार समिति लूणी जिसके द्वारा उन्होने ग्राम सतलाना की भूमि खसरा नं. 835 रकबा 15 बीघा अप्रार्थी के पिता/पति चम्पालाल को नियमन कर दी।

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता श्री भंवरलाल चौधरी, श्री [illegible]पत, श्री राजेन्द्र चौधरी, श्री रूपाराम चौधरी, श्री [illegible] चौधरी उपस्थित (प्रार्थी पक्ष की ओर से)
2. अप्रार्थी सं. 01 से 07 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:34:59 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आदेश दिनांक 30.04.2025

1. यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के अंतर्गत ग्राम सतलाना, तहसील लूणी, जोधपुर के खसरा नं. 835 में से 15 बीघा भूमि आवंटित करने के आदेश दिनांक 05.10.1977 को अपास्त कराने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 21.12.2022 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया गया है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस तामिल होने के बावजूद अप्रार्थीगण स्वयं या उनका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया जाता है।

3. प्रार्थना पत्र में अंकित अभिकथनो अनुसार ग्राम सतलाना के खसरा नं. 835 रकबा 15 बीघा की कृषि भूमि पर कब्जा काश्त वक्त सेटलमेंट से प्रार्थी के पिता व अप्रार्थीगण के दादा केसाराम पुत्र भाणाराम का चला आ रहा था तथा उनका सन् 1969 में देहांत हो गया। परिवार में बडे होने के कारण चम्पालाल ने गांव के सरपंच से मिलावट करके दिनांक 05.10.1977 का गांव लूणी में कृषि भूमि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में अपने अकेले के नाम नियमन करवा ली। यह नियमन विधि विरूद्ध है। भूमि पर प्रार्थी व चम्पालाल के पिता केसाराम का संयुक्त कब्जा था तथा आज भी है। परंतु अकेले के नाम नियमन गलत किया गया है, जो नियमों की अवहेलना है। भूमि पर संयुक्त कुआं खुदा हुआ है, जिस पर आज भी तीनों का बराबर हिस्सा है परंतु नियमन के वक्त वास्तविक जांच किये बिना ही अकेले चम्पालाल के नाम से भूमि को नियमन करने हेतु जारी आदेश दिनांक 05.10.1977 निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र के संलग्न नियमन कमेटी की बैठक दिनांक 05.10.1977 की कार्यवाही की फोटोप्रति नामांतरकरण सं. 497 ग्राम सतलाना खसरा परिवर्तनशील संवत् 2027, 2028, 2029, 2030 एवं 2032 की फोटो प्रति, खसरा नं. 835 तथा विवादित भूमि के फोटोग्राफ्स पेश किये।

4. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री भंवरलाल चौधरी ने बहस में कथन करते हुए प्रार्थना पत्र में अंकित अभिकथनों [illegible] अप्रार्थीगण के पिता श्री चम्पालाल ने आवंटन सलाहकार समिति [illegible] कर ख.नं. 835 ग्राम सतलाना में 15 बीघा जमीन का नियमन [illegible] खुद के [illegible] करवा लिया, जबकि प्रस्तुत खसरा परिवर्तनशील (पी–14) में [illegible] केसाराम दोनो के नाम है। आज

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:34:59 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

भी मौके पर प्रार्थीगण का संयुक्त कब्जा काश्त है। अतः आवंटन नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

नियम 14(4) के तहत आवंटन को निरस्त करने हेतु कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है।

5. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन कर भली भांति अध्ययन किया। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा [illegible] प्रस्तुत तर्कों पर भी मनन किया। हमारा विनिश्चय इस प्रकार है:–

a) प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख अनुसार दिनांक 05.10.1977 को ग्राम लूणी में आवंटन सलाहकार समिति की बैठक उप जिलाधीश जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसमें छः अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। बैठक विवरण में लिखित सूची के कमांक 13 पर मुकदमा सं. 1459/77 चम्पा पुत्र केसाराम हरिजन ग्राम सतलाना के खसरा सं. 835 किस्म बी–3 में 15 बीघा भूमि अनुसूचित जाति के सदस्य को आवंटित की गई है तथा अंत में लिखा हुआ है कि उपरोक्त नियमन की कार्यवाही मजमे आम की जाकर बंद की गई। उक्त समस्त पत्रावलीयां तहसीलदार, जोधपुर को मय आदेश के मौके पर ही पालनार्थ दी गई। उक्त आदेश की पालना में ग्राम सतलाना का नामांतरकरण सं. 497 दर्ज किया गया। जिसके कॉलम सं. 14 में मु.नं. 1459/77 नियमन सलाहकार बैठक 05.10.1977 खातेदारी देने पर भरा, अंकित है तथा खसरा नं. 835 किस्म बी–3 सिवायचक खालसा सरकार की 15 बीघा भूमि चम्पालाल पुत्र केसाराम हरिजन साकिन देह खातेदार दर्ज की। खसरा परिवर्तनशील (पी–14) में इन्द्राज इस प्रकार है:–

क.सं.	संवत्	अतिकमी का नाम	रकबा
1	2027	केसा पुत्र भाणा, भंगी, साकिन देह	15–19 बीघा
2	2028	चम्पा, गंगाराम के पिता केसाराम हरिजन	15–19 बीघा
3	2029	चम्पा, गंगाराम के पिता केसाराम हरिजन	15–19 बीघा
4	2030	चम्पा, गंगाराम के पिता केसाराम हरिजन	15–19 बीघा
5	2032	चम्पा, गंगाराम के पिता केसाराम हरिजन	15–19 बीघा

b) अप्रार्थीगण सं. 1, 2, 4 से 8 तक पर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे गये नोटिस तामिल दिनांक 04.07.2024 को पोस्ट डिलीवरी ट्रेक रिपोर्ट अनुसार डिलीवर हो चुके है तथा अप्रार्थी संख्या 01 पर स्वयं, 2 पर उसकी पत्नी, 3 पर पुत्र पीलाराम, 4 पर दोहिती

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:34:59 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

को तहसीलदार लूणी द्वारा तामिल करवाई गई है। इस प्रकार दोनों माध्यम से नोटिस तामिल होने के बावजूद व पर्याप्त समय देने पर भी अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर अपना पक्ष पेश नहीं किया। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही किया जाना न्यायोचित होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाने के आदेश पारित किये जाते है।

c) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 में अतिक्रमियों के पक्ष में विहित शर्तों के अध्यधीन भूमि नियमन करने का प्रावधान है। नियम 20(2) इस प्रकार का आवंटन, आवंटन के शर्तों के अधीन करने तथा शर्त पूरी करने पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान है। यह आवंटन नियमों के संलग्न फॉर्म V B में किया जायेगा, जिसकी शर्त सं. 4 अनुसार आवंटन गैर खातेदारी के रूप में किया जायेगा तथा आवंटन की समस्त शर्तों की पूर्ति होने पर 10 वर्ष बाद (वर्तमान में 3 वर्ष) खातेदारी प्रदान करने का प्रावधान था। नियम 20 का परंतुक इस प्रकार है–

Provided that the collector shall have the power to cancel any regularisation made by the SDO or Tehsildar either Suo moto or on the application of any person in case where regularisation has been secured through fraud or mis-representation or has been made against rules.

उक्त परंतुक नियम 14(4) के समान (pari-materia) है।

उक्त विधिक प्रावधानो अनुसार नियमन पर आवंटन गैर खातेदारी के रूप में किया जायेगा तथ दस वर्ष के पश्चात् (तत्समय प्रवर्तनशील प्रावधानानुसार) (वर्तमान तीन वर्ष) आवंटन की शर्तें एवं निर्बन्धनों की पालना होने पर नियम 18 खातेदारी प्रदान की जायेगी।

परंतु अपीलाधीन प्रकरण में आवंटन शुरू में ही खातेदारी के रूप में किया गया है, जो नियमों के विपरीत है तथा नियम 20(2) के परंतुक अनुसार आवंटन निरस्त योग्य है तथा आवंटन आदेश [illegible] विहित [illegible] रूप V-B में उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है, जो नियम 1[illegible] प्रावधान का उल्लंघन है। आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के अभाव [illegible] विहित प्रारूप में आवंटन आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:34:59 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी करना आज्ञापक है। मात्र आवंटन सलाहकार समिति की बैठक की सिफारिश पर भूमि आवंटित की जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं किया जा सकता।

d) प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत खसरा परिवर्तनशील (पी–14) संवत् 2028 से 2030 व 2032 अनुसार संवत् 2028 में ख.नं. 835 की 15–19 बीघा भूमि प्रार्थीगण के पिता केसाराम के कब्जे में थी तथा संवत् 2029, 2030, 2032 में प्रार्थी गंगाराम व अप्रार्थीगण के पिता/पति इत्यादि श्री चम्पालाल के संयुक्त कब्जे में थी परंतु आवंटन/नियमन सिर्फ चंपा पुत्र केसाराम हरिजन सतलाना के नाम ही किया गया है, जबकि गंगाराम (यदि पात्र था) का भी संयुक्त कब्जा चंपालाल के साथ था, परंतु आवंटन में गंगाराम का नाम नहीं है तथ उसके अपात्र मानने का कारण भी कार्यवाही विवरण में अंकित नहीं है। अगर 05.10.1977 को गंगाराम भी नियमों में आवंटन/नियमन कराने का पात्र था, तो उसके नाम पर बिना समुचित व पर्याप्त कारणों से विचार नहीं करने से गंगाराम के हितों पर कुठाराघात हुआ है तथा उसके समानता/सांपतिक के अधिकारो का हनन हुआ है जो गैर कानूनी है।

e) प्रार्थना पत्र में गंगाराम के साथ जोराराम भी प्रार्थी है परंतु जोराराम ने स्वयं का ख.नं. 835 की भूमि पर कब्जा होने का कोई अभिलेखीय सबूत पेश नहीं किया है, मात्र पिता केसाराम के नाम की पी–14 है।

6. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है, फलस्वरूप प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, लूणी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि ग्राम सतलाना के खसरा सं. 835 की 15–19 बीघा भूमि का नियमन करने हेतु आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 05.10.1977 में लिये निर्णय का पुनः परीक्षण करे तथा समुचित जांच मौका निरीक्षण सहित कर प्रार्थी गंगाराम व जोराराम को भी, आवंटी चम्पालाल के साथ उक्त भूमि में आवंटी के रूप में, यदि पात्रता की शर्तें पूरी करता है तो सम्मिलित करे तथा नियमानुसार आवंटन सलाहकार समिति की बैठक बुलाकर प्रकरण पर विचार करने के पश्चात् समिति की सिफारिश अनुसार नियमानुसार संशोधित आवंटन/नियमन आदेश जारी करे। प्रार्थी पात्रता व कब्जे के समस्त सबूत पेश कर सकते है।

अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:34:59 IST
Reason: SelfAttested

7. निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, लूणी व तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर को भेजी जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त निर्णय अनुसार उक्त कार्यवाही यथा संभव छः माह की अवधि में संपन्न करे ताकि अनुसूचित जाति के प्रार्थी (हरिजन) को शीघ्र न्याय प्राप्त हो सके।

8. पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

यह निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:34:59 IST
Reason: SelfAttested